



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



संयुक्त कुटुंबम्  
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Website- [msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

Email ID – [registrar@msuniversity.ac.in](mailto:registrar@msuniversity.ac.in)

पत्रांक : 2806 / / प्रशा० / MSU / 2022-23

दिनांक : 16/03/2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय


विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and protal की स्थापना एवं एल्यूमनायी एसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या-673 / सत्तर-3-2023-09(03) / 2023, दिनांक : 06 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एल्यूमनायी एसोसिएशन का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

अतः समस्त शिक्षण संस्थान संलग्न शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एल्यूमनायी एसोसिएशन का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)  
कुलसचिव

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
03. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
04. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
05. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के अनुमोदन एवं संज्ञानार्थ।

1  
कुलसचिव



# उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : — /रा०उ०शि०प० / — / —  
दिनांक : ०९ मार्च, 2023

सेवा में,

कुल सचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal की स्थापना एवं एल्युमनायी एसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-673/सत्तर-3-2023-09(03)/2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं नैक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने एवं एल्युमनायी एसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के निदेश हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में एल्युमनायी एसोसिएशन का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुये उसकी रिपोर्ट उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन की ईमेल आई०डी०-hesection.3@gmail.com एवं उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की ईमेल आई०डी०-upshhec@gmail.com पर एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय

(प्रो० आर०के० चतुर्वेदी)  
अपर सचिव

पत्रांक 699/40/23 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को सदस्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय उ०प्र० को मा० कुलपति जी के अवगतार्थ।

(प्रो० आर०के० चतुर्वेदी)  
अपर सचिव

09.3.23

प्रेषक,

डा० सुधीर एम० बोबडे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा उ०प्र०  
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं नॉक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने एवं एल्यूमनायी ऐसोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने की आवश्यकता है।

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कियान्वयन के बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिन्दु संख्या IC-2 Alumni connect office and portal के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्यूमनायी ऐसोसिएशन को वित्तीय मदद के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों के पास कौशलमनी की वह धनराशि जिसे विद्यार्थी तीन वर्ष पश्चात् वापिस नहीं लेते हैं, को एल्यूमनायी ऐसोसिएशन के खाते में हस्तांतरण कर Alumni connect office and portal बनाने एवं एल्यूमनायी ऐसोसिएशन के विभिन्न कार्यों के लिये किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय अपनी आख्या दो सप्ताह में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज को उपलब्ध करायें तथा निदेशक, उच्च शिक्षा संकलित रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या एक माह में शासन को प्रस्तुत करें।

3- उक्त के अतिरिक्त समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में एल्यूमनायी ऐसोसिएशन का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए उसकी रिपोर्ट अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


भवदीय,  
( डा० सुधीर एम० बोबडे )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-673 (1)/सत्तर-3-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल्युमनायी-ऐशोसिएशन के पंजीकरण विषयक सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हुए समेकित सूचना एक माह में शासन को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

  
( गिरिजेश कुमार त्यागी )  
विशेष सचिव।